भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *228

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता कार्यक्रम

***228. श्री कृपानाथ मल्लाह:**

श्री मितेश पटेल बकाभाई:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता कार्यक्रम के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने भौगोलिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं और कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे क्षेत्रकों और आजीविका संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और भागीदार संस्थाओं से प्राप्त सहायता सहित प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.08.2026 को लोक सभा में "ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता कार्यक्रम" के संबंध में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *228 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट भाषण में राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक ग्रामीण समृद्धि एवं समुत्थानशीलता कार्यक्रम (आरपीआरपी) प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। यह कार्यक्रम कौशल विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर कृषि क्षेत्र में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार एवं आजीविका के अवसर सृजित करना है, ताकि पलायन आवश्यकता नहीं, बल्कि एक विकल्प बन सके।

यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर केंद्रित होगा:

1. ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार तथा वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना;
2. युवा कृषकों एवं ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार एवं व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना;
3. विशेषकर सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए कृषि सहायता एवं आधुनिकीकरण, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा भंडारण अवसंरचना का विकास हो सकेगा; तथा
4. भूमिहीन परिवारों के लिए आजीविका के अवसरों में विविधता लाना।

(ख): चरण-I में, ग्रामीण समृद्धि एवं समुत्थानशीलता कार्यक्रम का कार्यान्वयन देश के 100 विकासशील कृषि-जिलों में किया जाएगा।

(ग): प्रत्येक जिला, विस्तृत विश्लेषण तथा अपने स्थानीय संसाधनों, आर्थिक क्षमता एवं विकासगत परिस्थितियों के आकलन के आधार पर, आरपीआरपी के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों एवं आजीविका कार्यकलापों की पहचान तथा प्राथमिकता निर्धारित करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, गैर-कृषि उद्यमों, सेवा उद्यमों तथा हरित एवं उभरते क्षेत्रों आदि जैसे उच्च संभावनाशील एवं बाजार-संबद्ध आजीविका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। सभी जिलों के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर, आरपीआरपी प्रत्येक जिले को उसकी तुलनात्मक विशेषताओं, संसाधन उपलब्धता तथा बाजार के अनुरूप अवसरों के आधार पर सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(घ): आरपीआरपी, डीएवाई-एनआरएलएम की सुदृढ़ संस्थागत संरचना और उपलब्धियों पर आधारित होने की परिकल्पना करता है और यह मुख्य रूप से मौजूदा केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण, तथा भारत सरकार की उस सहायता का लाभ उठाएगा जो विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, डिजिटल प्रणालियों और कार्यक्रम प्रबंधन में बड़े अंतरालों को दूर करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और अन्य विकास भागीदारों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का भी लाभ उठाया जा रहा है।
